फाइल नं० 3/42/2013-एसडी/एएम

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

सूत्रधार विभाग(प्रशासन)

परिपत्र

विषय- संविदा पर रखे गए स्टाफ की परिलब्धियों में वृद्धि किए जाने से सम्बधित निर्देश-

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों से सम्बधित विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संविदा के आधार पर अनुसंधान अध्येताओं एवं अन्य स्टाफ को नियुक्त किया जाता रहा है। केन्द्र में संविदा के आधार पर कुछ अकादमिक एवं अन्य व्यक्ति कई बर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें अकादमिक एवं अन्य कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है । संविदा के आधार पर नियुक्त ऐसे व्यक्तियों के कार्यकाल एवं उनके पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने के लिए विभागाध्यक्षों से प्रायः यह अनुरोध प्राप्त होता है पारिश्रमिक में तदर्थ वृद्धि किए जाने से बचने एवं नियुक्ति/ कार्यकाल में वृद्धि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है-

1. व्यक्तियों को परियोजना विशेष के लिए ही नियोजित किया जाएगा और उन्हें स्पष्ट रूप से कार्य संबंधी परिदान और उसकी समय सीमा बताई जाएगी ।
2. सामान्य मामलों में, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं की संविदा, संविदागत अवधि के पूरा होने पर समाप्त हो जाएगी।
3. यदि किसी मामले में, विभागाध्यक्ष यह महसूस करें कि किसी व्यक्ति में असाधारण योग्यताएँ हैं तथा उसने विभाग के कार्यों को सक्रिय रूप से बढ़ाने में योगदान किया है तो विभागाध्यक्ष उस व्यक्ति की सेवाओं को जारी करने की सिफारिश कर सकते हैं।
4. ऐसी स्थिति में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक जाँच समिति जिसमें विभागाध्यक्ष और एक या एक से अधिक बाहरी विशेषज्ञ सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष की सिफारिशों तथा संविदा पर रखे गए कर्मचारी की रिपोर्ट एवं परियोजना की आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाने वाली समय-सीमा के अनुरुप परिदान की जाँच करेगी। सिफारिश में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:-

क) व्यक्ति का कार्य क्षेत्र और इससे विभाग को अब तक किस प्रकार लाभ मिला ।

ख) संविदा पर रखे गए स्टाफ द्वारा किए गए कार्य की विस्तृत रिपोर्ट ।

ग) अगले एक वर्ष के लिए सौंपे जाने वाले कार्यों की समय-सीमा के अनुरूप परिदान ।

घ) वर्तमान में अदा की जा रही परिलब्धियां । यह भी बताएं कि परिलब्धियों में कितनी वृद्धि आवश्यक है और उसका औचित्य बताया जाए । सिफारिश को अनुमोदन के लिए सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि कुल मिलाकर मामले के गुण दोषों के आधार पर परिलब्धियों के संबंध में कतिपय सीमा के अंदर ढील दी जा सकती है, फिर भी यह भी सुनिशिचत किया जाएगा कि समान कार्य करने वालों की परिलब्धियों में सामान्य रूप से एकरूपता हो।

2/7/13

(जयन्त कुमार रे)
निदेशक (प्रशासन)

सभी विभागाध्यक्षों को प्रेषित

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव के वैयक्तिक सहायक
2. संयुक्त सचिव के वैयक्तिक सहायक
3. मुख्य लेखा अधिकारी